

1 लाख से ऊपर बकायादारों के खिलाफ निगम चलाएगा अभियान, कम वसूली वाले होंगे दंडित

लक्ष्य हासिल करने वालों का होगा सम्मान



नवभारत, जबलपुर। शहर की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से नगर निगम ने राजस्व वसूली अभियान में तेजी ला दी है। इसी को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अत्रू ने निर्देशित किया कि शहर में बेहतर सड़कें, स्वच्छ जल और आधुनिक अधोसंरचना के लिए राजस्व की उपलब्धता आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि सम्पत्तिकर और

जलकर का समय पर भुगतान करें। वहीं डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुरू, किराया, लीज और अनुज्ञप्ति लाइसेंस शुल्क भी नगर निगम में जमा कर सहयोग प्रदान करने का भी जनता से अनुरोध किया गया है। वहीं वसूली अभियान के संबंध में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिंरवार ने भी राजस्व वसूली अभियान में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि 16 संभागों के 79 वार्डों में चिन्हित 1 लाख से ऊपर के बकायादारों की

सूची लेकर फील्ड में निकलें और करदाताओं से बकाया करों की

रेलवे, बीएसएनएल, विद्युत मंडल से भी जमा कराएँ राशि

वसूली अभियान के संबंध में अपर आयुक्त अरविन्द शाह ने सभी अमले को निर्देशित कर कहा कि शहरी क्षेत्रों में बहुत से शासकीय कार्यालय संचालित हैं इसके साथ-साथ रिछाई उद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक कार्य चल रहे हैं जिनके उपर टैक्स बकाया है। इन सभी लोगों से भी सम्पर्क करके टैक्स जमा कराएँ। उन्होंने रेलवे, बी.एस.एन.एल., विद्युत मंडल, आई.टी. पार्क के साथ-साथ अन्य शासकीय कार्यालय प्रमुखों से सम्पर्क कर वसूली करने के निर्देश दिये हैं। बैठक के दौरान राजस्व प्रभारी एम.आई.सी. सदस्य डॉ. सुभाष तिवारी, अपर आयुक्त अरविन्द शाह, सहायक आयुक्त आनंद मिश्रा, राजस्व प्रभारी मयंक चौरसिया, के साथ सभी संभागीय अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, बाजार निरीक्षक आदि उपस्थित रहे।

कर्मचारियों के हित में संघर्ष करेगा एआईडीईफ़: पाठक

► आयुध निर्माणी, लेबर यूनियन कार्यालय में किया गया स्वागत

नवभारत, जबलपुर। ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड एसएन पाठक का एसव्यूएई एंड एलपीआर आयुध निर्माणी खमरिया में आगमन हुआ, जहां कॉमरेड जितेंद्र यादव के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर एनएस पाठक ने विस्तृत रूप से फेडरेशन के होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी और भविष्य में बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए कहा। इसके बाद कॉमरेड पाठक का लेबर यूनियन कार्यालय में भी जोरदार स्वागत किया गया जहां



निर्माणी कर्मचारियों के साथ कॉमरेड पाठक रुबरू हुए। इस दौरान सभी कर्मचारियों को आठवें पे कमिशन कॉरपोरेटाइजेशन ऑप्शन फॉर्म, अनुकंपा नियुक्ति ओटी, एचआरए की पेमेंट जैसे विषयों पर फेडरेशन का रख स्पष्ट किया गया एवं सभी कर्मचारियों को आश्चस्त किया गया कि कर्मचारियों के हित में ऑल

इंडिया डिफेंस एम्पलाइज आखिर दम तक संघर्ष करेगा। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, फेडरेशन के संगठन मंत्री कॉमरेड अरनव दास गुप्ता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमरीश सिंह, महामंत्री सुकेश दुबे, जे सी एम मेंबर सुरेश कर्मा, सिमेंद्र रजक गेवा एवं सभी कर्मचारियों को आश्चस्त किया गया कि कर्मचारियों के हित में ऑल

यातायात नियम तोड़ने वाले 200 वाहनों पर शिकंजा

ई- रिक्शा, बिना नंबर और नाबालिगों पर कार्यवाही

नवभारत, जबलपुर। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए लगभग 200 वाहनों पर शिकंजा कसा है। जिसमें अधिकतर बेतरबीन खड़े ऑटो, ई- रिक्शा चालक, नाबालिक और बिना नंबर प्लेट वाहनों पर कार्यवाही की है।

जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान बेतरतीब खड़े होकर सवारी चढ़ाने-उतारने वाले 47 ऑटो- रिक्शा चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इसी प्रकार बिना नंबर या अमानक नंबर प्लेट वाले 55 वाहनों पर वैधानिक कार्रवाई की गई। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर विशेष सघन अभियान चलाकर की गई। अभियान का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुश्री अंजना तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें थाना

यातायात मालवीय चौक, गढ़ा और घमापुर क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता (भा.पु.से.), जितेंद्र सिंह, सुश्री पल्लवी शुक्ला, और सूर्यकांत शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भी कार्रवाई सुनिश्चित की।

हमेशा यातायात नियमों का पालन करें: एसपी
पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने शहरवासियों से अपील की है कि

वे अपने वाहनों में निर्धारित हाई सिग्नोरिटी नंबर प्लेट लगवाएँ, नाबालिगों को वाहन न चलाने दें, बिना लाइसेंस वाहन न चलाएँ, दोपहिया वाहन में हेलमेट और चारपहिया वाहन में

नाबालिग और अभिभावक दोनों पर कार्यवाही

चेकिंग के दौरान एक नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर नाबालिग और उसके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने वाले 5 वाहन चालकों के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा काली फिल्म लगी चारपहिया वाहनों के खिलाफ 5 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर अभियान के दौरान लगभग 200 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई।



रितेश ढाबा पर फफूंद लगे पनीर की हुई जांच

► पनीर और मावे के लिए नमूने, दोष सिद्ध होने पर होगी कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। सोशल मीडिया पर रितेश ढाबा, बरेंला में फफूंदयुक्त पनीर

सीट बेल्ट का उपयोग करें। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को मदद कर 'राहवीर योजना' का लाभ लें और हमेशा यातायात नियमों का पालन करें।

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 24 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले विधानसभा घेराव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शहर (जिला) कांग्रेस कमेटी जबलपुर की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते तथा मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव कर मजदूरों के कानूनी अधिकारों पर किए जा रहे प्रहार के विरोध में व्यापक रणनीति बनाई गई। कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा घेराव में शामिल होने का आह्वान



किया गया। इस दौरान शहर अध्यक्ष सोरभ नाटी शर्मा ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता देश के छोटे व्यापारियों, किसानों और स्थानीय उद्योगों के हितों के खिलाफ है। साथ ही मनरेगा में बदलाव कर मजदूरों के कानूनी अधिकारों को कमजोर

किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आमजन के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 24 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुँचकर विधानसभा घेराव को सफल बनाएँ।

कैशलेस हेल्थ स्कीम में पेंशनरों को शामिल करने की मांग

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख विद्युत कंपनियों-म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, और मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी-द्वारा नियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम प्रारंभ की गई है। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी पी

पाठक ने इस योजना की सराहना करते हुए ऊर्जा विभाग, सभी प्रबंध संचालकों और मानव संसाधन विभाग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी और पेंशनर अभी तक इस योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, जबलपुर के कार्यालयिक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) के अनुसार, योजना का अनिवार्य अंशदान वेतन या पेंशन से काटा जाएगा।

पुणे-गाजीपुर सिटी के मध्य स्पेशल ट्रेन

जबलपुर। रेलवे द्वारा आगामी त्योहारों होली पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में मध्य रेल से प्रारम्भ टर्मिनेट होने वाली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01431/01432 पुणे-गाजीपुर सिटी-पुणे स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल से होकर अपने गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 01431 पुणे से गाजीपुर सिटी स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 24 एवं 27 फरवरी एवं होली के अवसर पर 03 एवं 06 मार्च को पुणे स्टेशन से सुबह 06:40 बजे प्रस्थान कर मार्ग से होते हुए पिंपरीया 22:10 बजे, नरसिंहपुर 23:05 बजे, पहुँचकर अगले दिन मदनमहल मध्दरात्रि 00:40 बजे, कटनी 02:45 बजे, मेहर 04:10 बजे, सतना 06:00 बजे पहुँचकर मार्ग से होते हुए रात में 19:05 बजे गाजीपुर सिटी स्टेशन पहुँचेगी।

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की दूरदर्शी पहल ने न्यायिक इतिहास में एक नया अध्याय स्थापित किया है। जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के सेवा-संबंधी विवादों को बिना अनावश्यक विलंब के आपसी सहमति से निपटाने के उद्देश्य से मध्यस्थता प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है। इस अभिनव अभियान के सफल संचालन की जिम्मेदारी प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक रूसिया तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल को सौंपी गई है।

नियमित न्यायिक कार्यों को किसी भी प्रकार से बाधित किए बिना इस पहल की प्रभावशीलता

प्रदर्शित करते हुए सार्वजनिक अवकाश वाले शनिवार, 21 फरवरी को उच्च न्यायालय परिसर के साउथ हॉल में एक विशेष मध्यस्थता सत्र का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सत्र में कुल 43 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 25 मामलों का संवाद एवं सहमति के आधार पर तत्काल निराकरण किया गया। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसने कर्मचारियों के मध्य विश्वास और सौहार्द को और अधिक सुदृढ़ किया है।

आज आयोजित मध्यस्थता सत्र की विशेषता यह रही कि इसमें न केवल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता की, बल्कि मध्य प्रदेश



के विभिन्न जिलों में पदस्थ कर्मचारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभावी रूप से भाग लिया। मध्यस्थता की इस तकनीक सक्षम एवं समकालीन व्यवस्था ने भौगोलिक दूरी की बाधाओं को समाप्त करते

हुए दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी और परिणाममुखी निराकरण सुनिश्चित किया। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि वर्ष 2005 एवं 2010 से लॉबत प्रकरणों का भी सफलतापूर्वक

निराकरण किया गया, जिससे दीर्घकाल से लॉबत मामलों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। यह पहल समयबद्ध, प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती

है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति के मार्गदर्शन में ऐसे मध्यस्थता सत्र भविष्य में नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे। इससे कर्मचारियों को त्वरित एवं किफायती न्याय उपलब्ध होगा तथा यह प्रक्रिया सुलभ, व्यावहारिक और प्रभावी न्याय प्रणाली की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगी।

यह प्रेरणादायी और अभूतपूर्व पहल न्यायिक संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देती है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को सुदृढ़ करते हुए यह न केवल समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित करेगी, बल्कि न्याय व्यवस्था की दक्षता और

विश्वसनीयता में भी उल्लेखनीय वृद्धि करेगी-एक ऐसा कदम जो पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है। इस अवसर पर रजिस्ट्रार जनरल धर्मिंदर सिंह राठौड़ सहित अन्य रजिस्ट्रारगण उपस्थित रहे। साथ ही हाई कोर्ट पैलस के वरिष्ठ अधिवक्तागण आदित्य अधिकारी, अनूप नायर, बी.एन. मिश्रा, श्रीमती अमृत रूपराह, आकाश चौधरी, सिद्धार्थ सेठ, के.एन. फखरुद्दीन, संदीप के. शुक्ला, राजेन्द्र सेन, पराग तिवारी, मिहिर अग्रवाल, सपत कुशवाहा, श्रीमती नीलम गोयल, अभिषेक अर्जारिया, श्रीमती अंजली पटेल, विवेकानंद अवस्थी एवं राहुल चौबे ने उपस्थित रहकर सक्रिय सहयोग प्रदान किया।